एल०पी०जी० डीलरों को गैस के सिलेंडरों की समय पर सप्लाई करने के लिये निर्देश

1298. **श्री राम नरेश यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि उनके मंत्रालय ने एल०पी०जी० डीलरों को उपभोक्ताओं द्वारा मांग किये जाने के 24 घंटे के अन्दर उन्हें भरे हुए गैस सिलडरों की सप्लाई करने के लिए निर्देश दिए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि अधिकांश एल०पी०जी० डीलर इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन निर्देशों का पालन न करने के लिए कुछ एल०पी०जी० डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया हैं फिर भी एल०पी०जी० के वितरकों को तेल कंपनियों से अनुदेश दिए गए हैं कि वे "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर रिफिलों की मांग की पूर्ति शीघ्रता से करें। कभी कभी एल०पी०जी० की उपलब्धता में कमी आने, परिवहन संबंधी अड़चनों, श्रमिक समस्याओं, सिविल अशान्ति आदि के कारणों से सप्लाई में विलम्ब हो जाता हैं। रिफिलों की सुपुर्दगी में विलम्ब के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती हैं और विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार गलती करने वाले वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती हैं।

Raids on wholesalers to detect Adiultewxted foostuffs.

1299. SHRI GHUFSAN AZAM:: Will' the Minister Of HEALTH AND FAMILY WELFARE[1] be pleased to refer to. the answer to Unstarred Question 326 given in the Rajya Sabha on the 7th May, 1990 and state.

(afl whether the Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi Administration, Delhi had conducted most of the- raids at the premises of retailers than at the premises of wholesalers and manufacturers in the Capital[1];

(b) if so, what are the reasons therefor when the wholesalers and manufacturers are actually producing and selling the adulterated iterms; and

(c) whether Government propose to conduct raids at the business premis es of wholesalers and manufacturers only in the Capital in the near fu ture to detect adulterated foodstuffs and if so, what are the details there of?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHE-ED MASOOD): (a) and (b) As per information furnished by Delhi Administration, the Department of Prevention of Food Adulteration, Delhi Administration, Delhi has conducted most of the raids of retailers in comparison to wholesalers and manufacturers because of the following reasons : —

(1) The retailers are many more compared to wholesalers and manu facturers.

(2) The Department of P.F.A., Delhi Administration, Delhi has been getting complaints from various consumer organisations and others against the traders engaged in retail business.

(3) A large number of manufacturers who are located cutside the

Union Territory) of Delhi, sell their produce in the Union Ter ritory of Delhi through their marketing nets.

(c) While the retailers who sell adulterated items can not escape responsibility, the Delhi Administration' 'would increase lifting" of samples from manufacturers and conduct raids upon them wherever warranted.

एल०पी०जी० डीलरों के पास नियत संख्या में उपभोक्ताओं का आवंटन

1300. **श्री राम नरेश यादव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न गैस डीलरों को उपभोक्ताओं की एक समान संख्या आवंटित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो एक गैस डीलर को उपभोक्ताओं की अधिकतम और न्यूनतम कितनी संख्या आवंटित की जाती है ;

(ग) क्या सरकार गैस के वितरण में कुशलता लाने हेतु प्रत्येक डीलर के लिए उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक घरेलू गैस डीलर को उपभोक्ताओं की कितनी संभावित संख्या मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) जबकि एल० पी० जी० के वितरण की कार्य क्षमता को बनाये रखने के लिए न्यूनतम कनेक्शनों की संख्या निर्धारित नहीं है फिर भी नगरों और शहरों की आबादी के आधार पर प्रत्येक वितरक के के लिए अधिकतम संख्या में रिफिलों की सप्लाई निर्धारित की गई है । वितरकों की मासिक रिफिल बिक्री की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से नियत की गई है :

नगर/शहर आबादी सहित	रिफिलों की संख्या प्रतिमास
1. 10 लाख तक	4,000
2. 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक	5,000
3. 20 लाख से अधिक और 40 लाख तक	6,000
4. दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता	6,500
5. बम्बई	8,000

तथापि, जिन नगरों की आबादी 10 लाख से कम है वहां के मौजूदा डीलर/डीलरों को प्रतीक्षा सूची पर रखे लोगों को उस समय तक खपाने की अनुमति दी गई है जब तक कि अन्य व्यवहार्य वितरण केन्द्र का खोला जाना संभावित न हो जाए या जब तक रिफिलों की संख्या 5000 तक न पहुंच जाए, इनमें जो भी पहले हो। सहकारी समितियों को उपर्युक्त अधिकतम सीमा की पाबंदी से मुक्त रखा गया है । आगे उस डीलर को 1000 रिफिलों की अतिरिक्त संख्या प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है जिनका काफी लम्बे अर्से से कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा पाया जाता है। सरकार का प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक डीलर को व्यवहार्य सीमा तक रिफिल दिए जायें किन्तु यह कहना कठिन है कि प्रत्येक डीलर को दिये जाने वाले ग्राहको की संख्या क्या होगी ।